

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,  
अनुसचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
30प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 02 मार्च 2016

विषय:- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० वाराणसी द्वारा इलाहाबाद-शाहगंज मार्ग (सुजानगंज-बदलापुर एस०एच०-07) किमी० 86 से 87 के मध्य खाता/खतौनी संख्या- 822 ग्राम भलुआही थाना बदलापुर तहसील बदलापुर जनपद जौनपुर में प्रस्तावित आउटलेट हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बिना वृक्ष पातन के वन भूमि के गैर वानिकी कार्य की अनुमति ।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1795/11-सी/एफपी/यूपी/अदसे/16676/2015 दिनांक 24-02-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मूल प्रस्ताव वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में जिम्नानुसार संशोधन कर, संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

- (1) आपके कार्यालय पत्र दिनांक 24-2-2016 में इलाहाबाद-शाहगंज मार्ग (सुजानगंज-बदलापुर एस०एच०-07) किमी० 86 से 87 के मध्य, कुछ प्रमाण पत्रों में अंकित किया गया है, और कुछ प्रमाण पत्रों में किमी० 82 से 87 अंकित किया गया है।
- (2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र मूलरूप में नहीं है।

भवदीय

  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनुसचिव